न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 62/2018 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

बद्री प्रसाद पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम

बलवन्त पुत्र जगमाल जाति जाट निवासी लालपुरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री गौरीशंकर वर्मा वकील–प्रार्थी

श्री कृष्णकुमार वकील–अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 26/5/2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.06.2018 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि प्रार्थी के पिता जगमाल पुत्र रामरख के नाम से रोही मौजा लालपुरा के खाता संख्या 103/177 के पत्थर नम्बर 243/435 (182) के किला नम्बर 7/2 ता 14, 17 ता 24 की 3.6770 हेक्टेयर बारानी, पत्थर नम्बर 243/436 (208) के किला नम्बर 1 ता 4 की 1.0120 हैक्टेयर बारानी कुल क्षेत्रफल 4.6890 हैक्टेयर बारानी व खाता संख्या 106/97 के पत्थर नम्बर 242/431(141) के किला नम्बर 15 ता 19, 22 ता 25 की 2.0490 हैक्टेयर बारानी, पत्थर नम्बर 242/432 (156) के किला नम्बर 2 ता 5, 7 ता 9, 12 ता 14/1, 17/2 ता 19/1 की 2.6590 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल 4.7080 हैक्टेयर बारानी इस प्रकार कुल 9.3970 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि दर्ज कागजात पटवार सरकार थी। जो प्रार्थी के पिता जगमाल के देहान्त के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम से विरास्तन राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता में दर्ज हुई। जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी उक्त भूमि के मुश्तर्का खाते के खातेदार काश्तकार है जो जमाबन्दीयों से स्पष्ट रोशन है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सांझा खाता के खातेदार काश्तकार होने से बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दिया गया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि का 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी का खाता विभाजन अप्रार्थी नहीं मानता है तो प्रार्थी के खातेदारी हक हकुक का हनन होता है। प्रार्थी व अप्रार्थी के मौखिक समझौता विभाजन के मुताबिक प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी घोषणा करवा कर जमाबन्दी में प्रार्थी अपना नाम अलग दर्ज करवा प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। जबकि अप्रार्थी अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज है तथा अच्छी अच्छी भूमि को अपने पुत्र राजेन्द्र के कहने पर अन्य किसी को रहन बैय करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज सांझा खाता की कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा पर काबिज है तथा अप्रार्थी अच्छी अच्छी व बेशकीमती भूमि पर काबिज है जबकि प्रार्थी [illegible] सा उंची व रेतीली माडी माडी भूमि दे रखी है। प्रार्थी द्वारा अच्छी में [illegible] माडी में [illegible] की मांग अप्रार्थी से करने पर अप्रार्थी उक्त भुमि को रहन बैय, मुस्तकिल करने [illegible] की कब्जा से बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दे रहा है। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में [illegible]याब हो गया तो प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:37 IST
Reason: Self Attested

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

रावतसर

हर्जा से भी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा व आयन्दा मुकदमें बाजी भी बढेगी। इसलिए प्रार्थी को यह भी कानूनी अधिकार है कि वह अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रहन बैय व मुन्तकिल करने तथा प्रार्थी को बेकब्जा करने से रूकवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी माडी माडी भूमि एवं अप्रार्थी अच्छी–अच्छी भूमि पर अपने अपने हिस्सा पर काबिज है परन्तु वाद ग्रस्त भुमि प्रार्थी व अप्रार्थी के सांझा खाता में दर्ज होने के कारण सींव, बंट, आबयाना, रकम को लेकर आपस में तनाजा रहता है। इसलिए प्रार्थी मुताबिक हक व हिस्सा व मुताबिक भुमि किस्म अच्छी माडी के अनुसार खाता विभाजन करवाकर अपना नाम अलग से जमाबन्दी में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी दिनांक 18.06.2018 को अप्रार्थी से मिला तथा अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी का खाता तकसीम की घोषणा करवा लेने तथा उक्त भूमि को रहन बैय अथवा मुन्तकील व प्रार्थी को बेकब्जा नहीं करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा अप्रार्थी व उसके पुत्र राजेन्द्र ने अच्छी अच्छी भूमि को विक्रय करने व प्रार्थी को भूमि से बेकब्जा करने की धमकी दी। अप्रार्थी का उक्त कृत्य विधि विरूद्ध व मनमाना है। इसलिए उसे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रूकवा पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुख सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी लालपुरा बहक बद्री वगैरह पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये वकील श्री कृष्णकुमार उपस्थित आकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में लिखा कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद सं. 1 जिस तरह प्रार्थी ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थी तसलीम नही है क्योकि उक्त बाद में प्रार्थी की कामयाब होने की कोई उम्मीद नही है। मद सं. 2 जिस तरह प्रार्थी ब्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थी तसलीम नही है। मद सं. 3 जिस तरह प्रार्थी ब्यान करता है बवजह गलत व्यानी प्रार्थी तसलीम नहीं है क्योंकि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की मद सं. 3 में दर्ज भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थी व राजेन्द्र सहकाश्तकार है। मद सं. 4 जिस तरह प्रार्थी व्यान करती है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थी तसलीम नहीं है। मद सं. 5 बवजह गलत ब्यानी प्रार्थी तसलीम नही है तथा उक्त मद महज वाद को रंग देने के लिये व झुठी बिनाय मुखास्मत हासिल करने की गर्ज से तहरीर की गई है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी सहाकाश्तकार है तथा सहकाश्तकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। मद सं. 6 जिस तरह प्रार्थी ब्यान करता है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थी तसलीम नहीं है तथा प्रार्थी अप्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। मद सं. 7 जिस तरह प्रार्थी ब्यान करता है बवजह गलत ब्यानी प्रार्थी तसलीम नहीं है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले [illegible] प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र [illegible] मय [illegible] खारिज फरमाया जावे।"

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता जगमाल के देहान्त के बाद प्रार्थी

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:37 IST
Reason: SelfAttested

व अप्रार्थी के नाम से वादग्रस्त भूमि विरास्तन राजस्व रिकॉर्ड में सांझा खाता में दर्ज हुई। प्रार्थी व अप्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से 1/2–1/2 हिस्सा अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी घोषणा करवा कर जमाबन्दी में प्रार्थी अपना नाम अलग दर्ज करवा प्रार्थी व अप्रार्थी के नाम बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अलग अलग खातेदारी दर्ज करवाने का अधिकारी है। जबकि अप्रार्थी अच्छी अच्छी भूमि पर काबिज है तथा अच्छी अच्छी भूमि को अपने पुत्र राजेन्द्र के कहने पर अन्य किसी को रहन बैय करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज सांझा खाता की कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा पर काबिज है तथा अप्रार्थी अच्छी अच्छी व बेशकीमती भूमि पर काबिज है जबकि प्रार्थी को टिलेनुमा उंची व रेतीली माडी माडी भूमि दे रखी है। प्रार्थी द्वारा अच्छी में से अच्छी व माड़ी में से माड़ी की मांग अप्रार्थी से करने पर अप्रार्थी उक्त भुमि को रहन बैय, मुन्तकिल करने व प्रार्थी को कब्जा से बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दे रहा है। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को हर्जा से भी ना पुरा होने वाला नुकसान होगा व आयन्दा मुकदमें बाजी भी बढेगी। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कनफर्म की जावे।

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद भूमि सांझा खाता में दर्ज है तथा सांझा खाता में भूमि के विशिष्ट भू–भाग का या अच्छी–अच्छी भूमि का बैयनामा कानूनन नहीं हो सकता। प्रार्थी व अप्रार्थी सहकाश्तकार है तथा सहकाश्तकार के खिलाफ किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खाता की भूमि है। संयुक्त खाता की भूमि के सहकाश्तकार केवल अपना हिस्सा की भूमि को बैय कर सकता है वह भूमि के किसी विशिष्ट भाग को बैय नहीं कर सकता है। अप्रार्थी भूमि की रिकार्डेड खातेदार है। जिसे अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार है। इसलिये इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.06.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 26/5/2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
रावतसर

प्रमाणित प्रतिलिपि
रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
रावतसर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:46:37 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक 499 दिनांक 26/05/25
दर.देने की तारीख de
नकल तैयार करने की दिनांक de
नकल देने की दिनांक de
नकल लेने वाले का नाम रा. गौरीशंकर
नकल फीस 6/-
नकल तैयार करने वाले के हस्ताक्षर